प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 131 सन 2017

अनवान :–

1. लाधुराम पुत्र बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भगवानाराम पुत्र बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सिमरनजीत कौर उर्फ सिमरजीत कौर पत्नी जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
2. मनवीर कौर पुत्री जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
3. गुणवीर कौर पुत्री जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
4. जतिन्द्र सिह पुत्र जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
5. सोभासिह उर्फ शोभासिह उर्फ सुबसिह पुत्र गरुनामसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
6. सावित्री पत्नी लिच्छीराम जाति कुम्हार निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
श्री भरत सिह बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी
श्री गुरपालसिह बराड अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 437/429 की कुल 55.4290हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जिसके जाकर वादी का प्रतिवादी के साथ सीव डोल एवं लगान का तकाजा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी सयुक्त खाते की भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद वादी दिनांक 29.05.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव चाहा गया तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 414 दिनांक 29.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है जो प्रस्तुत है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल /राजीनामा पेश किया गया शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 437/429 की कुल 55.4290हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका हे।

सयुक्त खातेदार काश्तकार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 437/429 की कुल 55.4290हैक्‍ में से वादी संख्या 1 लाधुराम खसरा न0 290/1 की 7.588हैक्‍ खसरा न0 407/2 की 2.855हैक्‍ , खसरा न0 423 की 8. 548हैक्‍ , खसरा न0 452 की 2.227हैक्‍ खसरा न0 798/1 की 3.163हैक्‍ कुल 24.431हैक्‍ वादी संख्या 2 भगवानराम के पास खसरा न0 347/2 की 8.663हैक्‍ खसरा न0 407/1 की 7.590हैक्‍ खसरा न0 418 की 4.238हैक्‍, खसरा न0 798/2 की 1.403हैक्‍ कुल 21.894हैक्‍ भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पास खसरा न0 604 की 8.598हैक्‍, तथा प्रतिवादी संख्या 6 सावित्री को खसरा न0 347/1 की 0. 5060हैक्‍ भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड खाता व लगान अलग अलग अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लाधुराम पुत्र बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 भगवानाराम पुत्र बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 सिमरनजीत कौर उर्फ सिमरजीत कौर पत्नी जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
2 मनवीर कौर पुत्री जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
3 गुणवीर कौर पुत्री जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
4 जतिन्द्र सिह पुत्र जोधसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
5 सोभासिह उर्फ शोभासिह उर्फ सुबसिह पुत्र गरुनामसिह जाति जटसिख निवासी ललानिया हॉल फतुहीवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।
6 सावित्री पत्नी लिच्छीराम जाति कुम्हार निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 131 सन 2017 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 437 / 429 की कुल 55.4290हैक में से वादी संख्या 1 लाधुराम खसरा न0 290 / 1 की 7.588हैक खसरा न0 407 / 2 की 2.855हैक , खसरा न0 423 की 8.548हैक , खसरा न0 452 की 2.227हैक खसरा न0 798 / 1 की 3.163हैक कुल 24.431हैक वादी संख्या 2 भगवानराम के पास खसरा न0 347 / 2 की 8.663हैक खसरा न0 407 / 1 की 7.590हैक खसरा न0 418 की 4.238हैक, खसरा न0 798 / 2 की 1.403हैक कुल 21.894हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पास खसरा न0 604 की 8.598हैक, तथा प्रतिवादी संख्या 6 सावित्री को खसरा न0 347 / 1 की 0.5060हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड खाता व लगान अलग अलग अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर